भारत सरकार

बजट 2024-2025 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 23 जुलाई, 2024]

1 फरवरी, 2025

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

बजट घोषणा 2024-25 के कार्यान्वयन की स्थिति

विषय-सूची

क्रम सं	पैरा सं	विषय (बजट भाषण 2024-25 में)	पृष्ठ सं
1.	10	परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान	1
2.	11	नई किस्मों को शुरू करना	2
3.	12	प्राकृतिक कृषि	2
4.	13	दलहन और तिलहन मिशन	3
5.	14	सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला	4
6.	15	कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना	4
7.	16	झींगा उत्पादन और निर्यात	5
8.	17	राष्ट्रीय सहकारिता नीति	7
9.	20	योजना क: पहली बार रोजगार पाने वाले	7
10.	21	योजना ख: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन	7
11.	22	योजना ग: नियोक्ताओं को सहायता	8
12.	23	कामगारों में महिलाओं की भागीदारी	8
13.	24	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	11
14.	25	कौशल प्रशिक्षण ऋण	12
15.	26	शिक्षा ऋण	12
16.	28	आर्थिक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं	13
17.	29	पूर्वोदय	18
18.	30	गया में औद्योगिक केन्द्र का विकास	19
19.	31	बिहार में परियोजनाओं और अवसंरचना का विकास	19
20.	32	बिहार में पूंजीगत निवेश का आवंटन	22
21.	33	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम	22
22.	34	पोलावरम सिंचाई परियोजना	23
23.	35	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निधियां	23
24.	36	रायलसीमा, प्रकासम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्र के लिए अनुदान	26

क्रम सं	पैरा सं	विषय (बजट भाषण 2024-25 में)	पृष्ठ सं
25.	37	पीएम आवास योजना	26
26.	38	महिला संचालित विकास	27
27.	39	प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान	28
28.	40	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं	28
29.	43	विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना	29
30.	44	एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल	29
31.	45	संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता	30
32.	46	मुद्रा ऋण	30
33.	47	ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना	31
34.	48	एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएँ	31
35.	49	फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां	32
36.	50	ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र	32
37.	51	शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप	33
38.	52	औद्योगिक पार्क	33
39.	53	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत औद्योगिक पार्क	34
40.	54	किराये का आवास	34
41.	55	पोत-परिवहन उद्योग	35
42.	56	महत्वपूर्ण खनिज मिशन	35
43.	57	खनिजों का अपतटीय खनन	35
44.	58	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग	36
45.	59	आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म	41
46.	60	एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर	42
47.	62	राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण	42
48.	63	ऋण वसूली	42
49.	64	विकास केन्द्रों के रूप में शहर	43
50.	65	शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास	43
51.	66	आवागमन उन्मुखी विकास	44

क्रम सं	पैरा सं	विषय (बजट भाषण 2024-25 में)	पृष्ठ सं
52.	67	शहरी आवास	44
53.	68	रेंटल हाऊसिंग मार्केट	45
54.	69	जल आपूर्ति और स्वच्छता	46
55.	70	स्ट्रीट मार्केट	46
56.	71	स्टाम्प शुल्क	47
57.	72	ऊर्जा परिवर्तन	47
58.	73	पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	48
59.	74	पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी	49
60.	75	छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास	49
61.	76	उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट	50
62.	77	'हार्ड टू एबे' उद्योगों के लिए रोडमैप	50
63.	78	पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सहायता	51
64.	79	केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश	51
65.	80	राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश	52
66.	81	अवसंरचना में निजी निवेश	53
67.	82	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	53
68.	83	सिंचाई और बाढ़ उपशमन	53
69.	84	बाढ़ प्रबंधन के लिए असम को सहायता	54
70.	85	पुनःनिर्माण और पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता	55
71.	86	उत्तराखंड को सहायता	56
72.	87	सिक्किम को सहायता	56
73.	89	विष्णुपद और महाबोधि मंदिर का व्यापक विकास	57
74.	90	राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल	57
75.	91	नालांदा का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	58
76.	92	पर्यटन के विकास के लिए ओडिशा को सहायता	58
77.	93	अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का परिचालन	59
78.	94	अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था	59

क्रम सं	पैरा सं	विषय (बजट भाषण 2024-25 में)	पृष्ठ सं
79.	95	आर्थिक नीति फ्रेमवर्क	59
80.	96	सुधारों को शुरू और प्रोत्साहित करना	60
81.	97	सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन	60
82.	98	राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार	61
83.	99	ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य	61
84.	100	शहरी भूमि संबंधी कार्य	62
85.	101	श्रमिकों के लिए सेवाएं	63
86.	102	श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल	64
87.	103	वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति	64
88.	104	जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी	65
89.	105	परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना	65
90.	106	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश	66
91.	107	एनपीएस वात्सल्य	66
92.	108	प्रौद्योगिकी का प्रयोग	67
93.	109	व्यावसाय करने की आसानी	67
94.	110	डाटा और सांख्यिकी	67
95.	111	नई पेंशन योजना (एनपीएस)	69
96.	114	राजकोषीय समेकन	69
97.	137	आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा	70
98.	140	पुनःनिर्धारण का सरलीकरण	70
99.	141	कैपीटल गेन का सरलीकरण और युक्तीकरण	71
100.	146	करदाता सेवाएं	71
101.	151	अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवाद को कम करना	72
102.	154	पोतविहार पर्यटन	72
103.	155	हीरा उद्योग का विकास	72

बजट घोषणा 2024-25 के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	10	**परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान** हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। इसे चुनौती के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। सरकार और सरकार से बाहर दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ ऐसे अनुसंधान का पर्यवेक्षण करेंगे।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** 1. यह विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिवों वाली अंतर-विभागीय समिति द्वारा अनुशंसित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अनुसंधान कर रहा है। 2. कृषि उत्पादन बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के लिए, अनुसंधान अब जीनोम एडिटिंग, बायोफोर्टिफिकेशन, जीनोमिक सलैक्शन, परिशुद्ध खेती, ड्रोन और सेंसर प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रकृति-अनुकूल खेती, पीपीपी में वस्तु-विशिष्ट कंसोर्टिया पर संकेंद्रित है। 3. चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित नई परियोजनाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से आईसीएआर द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा निजी क्षेत्र से समान अनुदान प्राप्त होता है। 4. विकसित प्रौद्योगिकियों को कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से प्रमाणित और प्रदर्शित किया जाता है। **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग** जीनोम एडिटिंग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। सभी फसल सुधार कार्यक्रमों में जलवायु प्रतिरोधी क्षमता, उच्च उपज और बेहतर पोषण गुणवत्ता पर ध्यान-केंद्रित किया जाता है। जनवरी 2024 से जारी 524 क्षेत्रों के फसल किस्मों/संकरों में से, 455 किस्मों/संकरों में

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			एक या अधिक जैविक और/या अजैविक संकट की सहनशीलता/प्रतिरोधी क्षमता है। उनमें से 92 किस्मों को अजैविक संकटों (वर्षा आधारित, सूखा, बाढ़, जल भराव, टर्मिनल हीट, कम तापमान, लवणता, कम फास्फोरस) के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होने के लिए तैयार किया गया है और 33 किस्मों को बेहतर पोषण गुणों के साथ बायो फोर्टिफाइड किया गया है।
2.	11	**नई किस्मों को शुरू करना** किसानों द्वारा खेती के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग** **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** दिनांक 11 अगस्त, 2024 को खेती के लिए उगाई जाने वाली 32 और बागवानी फसलों की 109 उच्च उत्पादन और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई हैं।
3.	12	**प्राकृतिक कृषि** अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी तथा इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 25.11.2024 को अनुमोदित किया गया है। **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग** नीमास्टर का वर्णन किया गया है। पंतनगर (उत्तराखंड) में जैविक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम ने पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती के तहत मक्का और लोबिया - गेहूं और चना फसल प्रणाली का मूल्यांकन किया और 9201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रिकॉर्ड उपज (मक्का समतुल्य) दर्ज की। **ग्रामीण विकास विभाग** 1. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से प्राकृतिक खेती के लिए कृषि सखियों को प्रशिक्षण

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			प्रदान कर रहा है। 90,000 कृषि सखियों को पैरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा। 2. चरण-I में 69,102 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2025 में चरण-II के तहत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान-केंद्रित करते हुए 20,000 कृषि सखियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। 3. कृषि सखियाँ महिला किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी। प्रत्येक कृषि सखी 50-70 महिला किसानों की सहायता करेगी। 5. 18 राज्यों के 28,000 गाँवों के आठ लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य पहले ही प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं।
4.	13	**दलहन और तिलहन मिशन** दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों में *'आत्मनिर्भरता'* प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** 1. दलहन के लिए- खरीफ 2024 के दौरान इस खेती के लिए शामिल क्षेत्र 109.99 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹551.24 करोड़ की राशि जारी (दिनांक 16.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार) की गई। वर्ष 2027-28 तक दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। 2. तिलहन के लिए- वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹478.64 करोड़ की राशि जारी (दिनांक 16.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार) की गई। 3. मिशन को वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक सात वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग दलहनों की 8 किस्में जारी की गईं, जिनमें चना और मूंग की दो-दो किस्में, मटर, राजमा, लोबिया और लथीरस की एक-एक किस्म शामिल हैं।
5.	14	**सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला** प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हम उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** इस योजना की रूपरेखा और दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। योजना का क्रियान्वयन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
6.	15	**कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने में सहायता करेगी। इस वर्ष, डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** 1. मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत मिशन मोड में कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) तैयार करने की नींव रखी गई है। डीपीआई, जिसे एग्री स्टैक के रूप में भी जाना जाता है, को राज्यों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। एग्री स्टैक में किसान रजिस्ट्री, जिसमें किसानों की आईडी उनकी भूमि के विवरण से जुड़ी होगी और बोई गई फसल की रजिस्ट्री, जिसमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के माध्यम से किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को शामिल किया गया है, शामिल होगी। स्थिति निम्नानुसार है: क) डिजिटल कृषि मिशन को अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		इसके अलावा, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाएंगे।	ख) दिनांक 17.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 54,29,411 किसान आईडी बनाई गई हैं। ग) खरीफ-2024 के दौरान 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 2. एग्री स्टैक को जन समर्थ और किसान ऋण पोर्टल से जोड़कर जन समर्थ आधारित क्रेडिट कार्ड (नवीन और नवीनीकरण) जारी किया गया है। इस कार्य को वित्तीय सेवाएं विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। **वित्तीय सेवाएं विभाग** जन समर्थ पोर्टल को एग्रीस्टैक के साथ एकीकृत करने की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरी हो चुकी है। एग्रीस्टैक की तैयारी के आधार पर जन समर्थ, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा।
7.	16	**झींगा उत्पादन और निर्यात** झींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।	**मत्स्य पालन विभाग** 1. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) निजी उद्यमियों के उत्पादन, कटाई के उपरांत की गतिविधियां, मछली परिवहन वाहनों और झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) की स्थापना सहित निर्यात मूल्य श्रृंखला से संबंधित रियायती वित्त वाले परियोजना प्रस्तावों का समर्थन करती है। एफआईडीएफ के तहत अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समर्थित विश्वसनीय परियोजनाओं को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज प्रदान की जाती है। 2. झींगा पालन और निर्यात मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य पालन निर्यात संवर्धन के बारे में निजी उद्यमियों,

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और उद्योग संघों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हितधारक से परामर्श किया गया ताकि एफआईडीएफ के तहत एनबीसी, बीएमसी, हैचरी, प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ-साथ उत्पादन/पालन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जा सके 3. मार्च 2026 के अंत तक ₹1528.21 करोड़ की ब्याज छूट के लिए अर्हता प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान झींगा उत्पादन और निर्यात मूल्य श्रृंखला के लिए अपेक्षित अवसंरचना के सृजन के लिए निजी उद्यमियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों सहित विभिन्न हितधारकों से एफआईडीएफ के तहत ₹500 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ₹500 करोड़ की लक्षित परियोजनाओं में से, ₹205.46 करोड़ के कुल परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है तथा ₹8.53 करोड़ के परिव्यय वाले प्रस्ताव विचाराधीन हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी उद्यमियों/संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। **वित्तीय सेवाएं विभाग** नाबार्ड ने राज्य सरकारों/राज्य स्वामित्व वाले निकायों द्वारा शुरू किए गए पीपीपी-एसपीवी को हब-एंड-स्पोक्स मॉडल में झींगा न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) और ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर (बीएमसी) स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव किया है। बजट घोषणा को लागू करने के बारे में आगे की चर्चा के लिए नाबार्ड के माध्यम से मत्स्य विभाग के साथ बैठक की योजना तैयार की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
8.	17	**राष्ट्रीय सहकारिता नीति** हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा।	**सहकारिता मंत्रालय** राष्ट्रीय सहकारिता नीति चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू होने की उम्मीद है।
9.	20	**पहली बार रोजगार पाने वाले** इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम ₹15,000 होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा ₹1 लाख का मासिक वेतन होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के लिए मंत्रिमंडल नोट का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
10.	21	**विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन** इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पहली बार रोजगार पाने वालों के रोजगार से जुड़ा है। सीधे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के लिए मंत्रिमंडल नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और रोजगार सृजन के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए श्रम एवं

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।	रोजगार मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं।
11.	22	**नियोक्ताओं को सहायता** नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। ₹1 लाख प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक ₹3,000 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के लिए मंत्रिमंडल नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और रोजगार सृजन के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं।
12.	23	**कामगारों में महिलाओं की भागीदारी** हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** 1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने मिशन शक्ति के तहत स्वीकृत 17,000 केन्द्रों में अब तक 10,609 आंगनवाड़ी सह क्रेच केंद्र (एडब्ल्यूसीसी) स्वीकृत किए हैं और दिनांक 20.12.2024 की स्थिति के अनुसार 1,241 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 2. इसके अलावा, देश में मिशन शक्ति के सखी निवास घटक के तहत 523 कामकाजी महिला छात्रावास [डब्ल्यूडब्ल्यूएच] कार्य कर रहे हैं और वित्त वर्ष 24-25 में रेंटल मोड में 68 डब्ल्यूडब्ल्यूएच के लिए पहली किस्त जारी की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			3. मंत्रालय कामकाजी महिला छात्रावासों (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है ताकि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को बड़ी संख्या में डब्ल्यूडब्ल्यूएच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के सहयोग से 'गुणवत्ता रेटिंग' प्रणाली को नियोजित करके सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों सहित देश में सभी कामकाजी महिला छात्रावासों और क्रेच का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। 4. अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने निर्भया कोष के तहत उत्तराखंड [7 ड्ब्लूड्ब्लूएच], नागालैंड [7 ड्ब्लूड्ब्लूएच], उत्तर प्रदेश [3 ड्ब्लूड्ब्लूएच], तमिलनाडु [3 ड्ब्लूड्ब्लूएच], पंजाब [1 ड्ब्लूड्ब्लूएच] और दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 ड्ब्लूड्ब्लूएच के उत्तराखंड सरकार के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** 1. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में आजीविका प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक वर्ष में कम से कम 5 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के गठन सहित उनके संचालन का व्यापक कार्यक्षेत्र शामिल है। 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और प्रशिक्षण प्रदाताओं / क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) / अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ (अर्थात बोर्डिंग और लॉजिंग की लागत, परिवहन लागत, प्लेसमेंट के बाद वजीफा, आदि) प्रदान करके महिलाओं को शामिल करने के संबंध में विशिष्ट उपाय।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			3. चालू वित्त वर्ष में 20.93 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 11.43 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 4. एमएसडीई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों मंत्रालयों की शक्तियों का उपयोग करके महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सहयोग करना। इसके अलावा, एमओयू के तहत गैर-पारंपरिक नौकरियों में बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। वित्तीय बाधाओं को दूर करने और भागीदारी को बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से परिवहन सहायता के रूप में प्रति माह ₹1000 की राशि प्रदान की जाती है। **ग्रामीण विकास विभाग** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों हेतु विपणन पहुँच को सक्षम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन पहलों में स्वयं सहायता समूहों को मल्टीचैनल बाजार पहुँच प्रदान करना शामिल है। *i. सरस* मेला*:* - वित्त वर्ष 2024-25 में 2 राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले आयोजित किए गए हैं; - वित्त वर्ष 2024-25 में 43 राज्य स्तरीय सरस मेले और फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। *ii. रिटेल स्टोर:* महिला स्वयं सहायता समूहों के संसाधित उत्पादों की बिक्री के लिए सेंट्रल दिल्ली में सरस दीर्घा स्थापित की गई है। iii. स्वयं सहायता समूहों द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई-सरस को गूगल प्ले और एप स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			iv. ओएनडीसी अनुपालक ई-सरस: ई-सरस को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार बनाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विशेष रूप से तैयार उत्पाद अब ओएनडीसी नेटवर्क के 11 एप अर्थात पेटीएम, माईस्टोर, क्राफ्ट्सविला, जागरण, स्नैपडील, नोवोपे, ईजीपे, गोन्यूक्लि, रूबरू, मैपल्स, हिमिरा पर उपलब्ध हैं। v. अन्य ई-कॉमर्स प्लेयर्स अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम), ओएनडीसी, एमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेशों और जियोमार्ट के साथ सहयोग/साझेदारी स्थापित की गई है।
13.	24	**कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** मुझे प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** ईएफसी नोट को अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के परिणामों के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
14.	25	**कौशल प्रशिक्षण ऋण** सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ ₹7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** 1. अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्नत/उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 25 जुलाई, 2024 को एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई थी। 2. नई मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत अधिकतम पात्र ऋण राशि को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख कर दिया गया है। 3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और लघु वित्त बैंकों को पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि इन संस्थानों की बेहतर पहुंच और बाजार में गहरी पैठ है। 4. स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए गैर-राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों को भी कौशल ऋण के लिए पात्र बनाया गया है।
15.	26	**शिक्षा ऋण** सरकार की योजनाओं और नीतियों के अधीन किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की सहायता करने के लिए, मैं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की	**उच्चतर शिक्षा विभाग** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 06.11.2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न कर सकें। यह योजना ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		घोषणा कर रही हूँ। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।	छूट निर्धारित करती है। योजना के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। **वित्तीय सेवाएं विभाग** भारतीय बैंक संघ को सलाह दी गई है कि वह पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के सभी बिंदुओं को मौजूदा आदर्श शिक्षा ऋण योजना में शामिल करें और इसे सदस्य बैंकों के साथ परिचालित करें।
16.	28	शिल्पकारों, कारीगरों, स्व-सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेडरों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाएगी।	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)** एमएसडीई, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है: i. *राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (आरयूवीपी):* क) एमएसडीई ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (आरयूवीपी) शुरू की है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) कार्यान्वयन में भागीदार हैं। ख) परियोजना के माध्यम से, 10 शहरों में लक्षित 2,050 पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों में से 1,744 को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी थी।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ii. *प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन):* क) एमएसडीई अपने स्वायत्त निकायों- एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की एक योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के कौशल और उद्यमिता घटक को लागू कर रहा है। ख) यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है। ग) यह कार्यक्रम भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (टीआरआईएफईडी) के सहयोग से देश भर के 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। पीएम-जनमन के तहत कुल 42,000 पीवीटीजी लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है। घ) वर्ष 2023-25 (नवंबर 2024 तक) के दौरान, 36462 लाभार्थियों को उद्यमिता आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएपी) के माध्यम से एनआईईएसबीयूडी और आईआईई द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, 22483 लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से और 8169 लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्ट टॉयज, अगरबत्ती और इंसेंस स्टीक्स निर्माण, बांस हस्तशिल्प और वन उत्पाद आदि के क्षेत्रों में मूल्य वर्धित कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			iii. पीएम-*विश्वकर्माः* क) इस योजना का उद्देश्य विश्वकर्माओं को उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण सहायता के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के साथ उनके कौशल का उन्नयन करना है। ख) यह योजना तीन मंत्रालयों यानी एमएसएमई, एमएसडीई और डीएफएस द्वारा लागू की जा रही है। ग) कुल 18 ट्रेड (28 उप- ट्रेड) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कवर किए जा रहे हैं। घ) इस योजना के माध्यम से, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 550 जिलों में 3,015 प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि योजना दिनांक 01.6.2020 पर शुरू की गई थी। सीसीईए ने दिसंबर, 2024 तक 42 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित करने की मंजूरी दी है। 2. कवरेज बढ़ाने के लिए, यह योजना शहरी क्षेत्रों में धंधा कर रहे सभी रेहडी पटरी विक्रेताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। अब तक, 66.88 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 3. इस योजना के तहत वर्तमान ऋण अवधि दिसंबर, 2024 तक है, जबकि सभी ऋणों पर

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी दावों का भुगतान मार्च 2028 तक है। 4. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना के तहत 9.96 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है और इनमें से 6.81 लाख एसएचजी को परिक्रामी निधि (आरएफ) सहायता दी गई है। 9.97 लाख व्यक्तिगत और समूह सूक्ष्म उद्यमों को रियायती ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। 3.95 लाख से अधिक एसएचजी को बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान किए गए हैं। 5. इसके अलावा, दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) की एक पायलट परियोजना को ₹180 करोड़ की अनुमानित लागत से एक महीने की प्रारंभिक अवधि के साथ 3 महीने की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। देश भर में मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले मिशन के दिशा-निर्देशों को मजबूत करने के लिए प्रायोगिक कार्यान्वयन में टेस्ट-लर्न-स्केल दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। **ग्रामीण विकास विभाग** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों की वार्षिक कार्य योजनाओं में अनुमोदित सभी कार्यक्रमों को लागू करेगा। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा वित्तीय समावेशन उपायों के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियों का सहयोग करते हैं।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			वित्तीय सेवाएं विभाग पीएम विश्वकर्मा के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है और पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। इसके अलावा, स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत मार्च, 2025 तक 2.5 लाख ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। 23 दिसंबर, 2024 तक 2.52 लाख ऋण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय** अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति कारीगरों का सशक्तिकरणः पीएम विश्वकर्मा के तहत, 55 प्रतिशत लाभार्थी अन्य पिछड़ी जाति, 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 1 प्रतिशत दिव्यांगजन हैं। यह योजना कारीगरों की आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के साथ सहयोग करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ क्रमशः 1 लाख रुपये और ₹2 लाख की दो किश्तों में ₹3 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण प्राप्त होता है। **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग** 1. यह विभाग दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए देश भर में आयोजित मेलों में मुफ्त स्टॉल प्रदान करके दिव्यांगजनों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			दिशा में जागरूकता सृजन और प्रचार उप-योजना के तहत "दिव्य कला मेला" नामक एक कार्यक्रम लागू कर रहा है। 2. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम मेले के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। 3. अब तक 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन मेलों के आयोजन में लगभग ₹17.64 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इन मेलों में 1568 दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों ने भाग लिया और उनके द्वारा लगभग ₹13.92 करोड़ की बिक्री की गई।
17.	29	**पूर्वोदय** देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परम्पराएं सुदृढ़ हैं। हम बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेंगे। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए।	**नीति आयोग** 1. नीति आयोग 2047 के लिए राज्य-विशिष्ट विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्यों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। शुरुआत में, पूर्वी ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश उन पहले कुछ राज्यों में शामिल हैं जिनके लिए यह कवायद शुरू की गई है। 2. पूर्वोदय राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हेतु योजना/व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। 3. नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत, पूर्वी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) के 45 जिलों द्वारा 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों-स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के तहत की गई प्रगति की निगरानी की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			4. स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत पूर्वी राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में स्थित 168 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
18.	30	अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में, हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह औद्योगिक केन्द्र सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी बनेगा। इस मॉडल से हमारी विकास यात्रा में *"विकास भी विरासत भी"* प्रतिबिम्बित होगा।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** 1. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28-08-2024 को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) गया को मंजूरी दी है। 2. इस मॉडल को विकास भी विरासत भी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और बिहार सरकार के साथ परामर्श की योजना बनाई जा रही है।
19.	31	हम ₹26,000 करोड़ की लागत से (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और (4) बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** 1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे: लंबाई 300 किमी: डीपीआर का कार्य सौंपा गया। मार्च 2026 तक सिविल कार्य सौंपे जाने की संभावना है। अनंतिम लागत - ₹20,000 करोड़। 2. बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे: कुल लंबाई 360 किमी है। मोकामा से मुंगेर तक 78.5 किमी की दूरी को छोड़कर पूरा गलियारा 4 लेन का है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सहायता देंगे। ₹21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा।	मोकामा-मुंगेर को 4 लेन का बनाने के लिए डीपीआर बनाया गया है। संरेखण को अंतिम रूप दिया गया। अनंतिम लागत - ₹3,750 करोड़। 3. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा मार्ग: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा डीपीआर बोली आमंत्रित की गई। 4. एनएच-922 पर बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 3-लेन के पुल को मंजूरी दी गई। अनंतिम लागत - ₹444.18 करोड़। **विद्युत मंत्रालय** 1. विद्युत मंत्रालय बिहार के भागलपुर में पिरपैंती में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए बिहार सरकार का समर्थन कर रहा है। 2. बिहार सरकार से प्राप्त व्यवहार्यता रिपोर्ट के मसौदे पर 11.11.2024 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी। 3. बिहार सरकार के संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है। **नागर विमानन मंत्रालय** 1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ₹1,413 करोड़ की अनुमानित लागत से बिहटा वायु सेना स्टेशन में एक नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्ण होने की संभावित तिथि (पीडीसी): कार्य सौंपे जाने की तारीख से 24 महीने। 2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ₹1,216.90 करोड़ की लागत से पटना हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन (एनटीबी), यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) और अतिरिक्त विमान पार्किंग स्टैंड

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			के निर्माण सहित विकास कार्य किए गए हैं। एनटीबी के जनवरी 2025 तक पूरा होने की संभावना है और अन्य कार्य जून 2025 तक पूरे हो जाएंगे। 3. दरभंगा में नए सिविल एन्क्लेव और संबंधित कार्यों का विकास जुलाई 2026 में पूरा होने की प्रस्तावित तिथि के साथ ₹912 करोड़ की लागत से किया गया है। **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग** 1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। 2. इस योजना के तहत, बिहार (पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर और जमुई) में आठ मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव किया गया है। 3. पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से चालू हो गया है। शेष 7 मेडिकल कॉलेज निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 4. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है और परियोजना की योजना, निष्पादन और कमीशनिंग राज्य सरकार द्वारा की जानी है। **खेल विभाग** नए खेल ढांचे के निर्माण हेतु अपेक्षित बजट अनुमान प्रदान करने के लिए बिहार की सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
20.	32	पूंजीगत निवेशों में सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।	**व्यय विभाग** दिनांक 24.12.2024 तक, बिहार राज्य के लिए ₹10,141.34 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे दी गई है और पूंजीगत निवेश (एसएएससीआई) 2024-25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत बिहार राज्य को ₹6,875 करोड़ जारी किए गए हैं। **आर्थिक कार्य विभाग** 1. कोसी मेची परियोजना बिहार सरकार के साथ शुरू की गई है। बिहार सरकार जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के माध्यम से समकक्ष वित्त पोषण (राज्य हिस्सेदारी) की मांग कर रही है, जिसके लिए उनसे एक संशोधित प्रस्ताव का अनुरोध किया गया है। 2. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु बिहार जलीय कृषि और पशुधन सुधार (बाली) परियोजना प्रकियाधीन है और इस पर प्राथमिकता से विचार किया जा रहा है।
21.	33	**आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम** हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में ₹15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।	**व्यय विभाग** 1. 24.12.2024 तक, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ₹3,950.31 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे दी गई है और पूंजीगत निवेश (एसएएससीआई) 2024-25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को ₹3,685.31 करोड़ जारी किए गए हैं। 2. व्यय विभाग (डीओई) ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जून 2015 से "विशेष सहायता (अनुदान)" के रूप में ₹35,491.57 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			आर्थिक कार्य विभाग यह परियोजना विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 1,600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बाहरी वित्तपोषण के लिए शुरू की गई है। ऋण के लिए कानूनी समझौतों पर एडीबी के साथ 20.12.2024 को और विश्व बैंक (इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट; आईबीआरडी) के साथ 26.12.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
22.	34	हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो आंध्र प्रदेश और यहां के किसानों की जीवन-रेखा है, का वित्तपोषण करके इसे जल्दी पूरा करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग** पोलावरम सिंचाई परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन के बाद, ₹2,807.69 करोड़ जारी किए गए हैं।
23.	35	इस अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पर्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे में ओर्वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश हेतु इस वर्ष एक अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाएगा।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** 1. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 28-08-2024 को हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल नोड और विशाखापट्टनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पर्थी नोड। 2. घोषणा में उल्लिखित जल, विद्युत, रेलवे और सड़कों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान की जाने वाली निधियों के विवरण पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) एमओपीएसडब्ल्यू ने औद्योगिक नोड्स के लिए पत्तनों की कनेक्टिविटी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के तहत विभिन्न औद्योगिक गलियारों के तहत सभी मौजूदा और आगामी नोड्स के संबंध में पत्तनों की कनेक्टिविटी का गहन मूल्यांकन और अंतराल संबंधी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में 62 नई सड़क और रेल अवसंरचना कमियों की पहचान की गई है। चिन्हित परियोजनाओं की आगे की योजना और कार्यान्वयन के लिए इस रिपोर्ट को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ साझा किया गया था। रिपोर्ट में विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा पर कोप्पर्थी नोड और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा पर ओर्वाकल नोड के लिए 3 सड़क परियोजनाओं और 2 रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है। **रेल मंत्रालय** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का कार्यान्वयन डीपीआईआईटी द्वारा रेल मंत्रालय की सहायता से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत किया जाता है। **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** वर्तमान में, ओर्वाकल और कोप्पर्थी एनएच-40 पर हैं और 4 लेन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, सड़क विकास/क्षमता संवर्धन के संबंध में समर्थन

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			के लिए एनआईसीडीसी से अनुरोध प्राप्त हुआ है: *i.* ओर्वाकल *औद्योगिक क्षेत्र (कुरनूल जिला):* क) एनएच-44 और एनएच-40 को जोड़ने वाले वेलदुर्थी से हुसैनपुरम (34 किमी) तक मौजूदा एमडीआर और एसएच-31 मार्ग को 4-लेन का बनाना। ख) सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे के तहत सोलापुर से कुरनूल तक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड खंडों को 6 लेन का करना। ग) कुरनूल से अटमाकुर तक खड़ंजा (पेव्डशोल्डर) के साथ एनएच-340सी का चार लेन में उन्नयन-4 लेन का कार्य प्रगति पर है। कुरनूल से मंडलम खंड जून 2025 तक और मंगलम से अटमाकुर तक मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। घ) हैदराबाद से बेंगलुरु तक एनएच 44 को 6 लेन का बनाने हेतु डीपीआर संबंधी कार्रवाई शुरू की गई। *ii.* कोप्पर्थी *औद्योगिक क्षेत्र (कडप्पा जिला)* राष्ट्रीय राजमार्ग-40 पर जंक्शन सुधार के साथ कोप्पर्थी में ग्रीनफील्ड रोड (3 किमी) को जोड़ने वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग-40 के साथ 4 लेन का बनाना। **व्यय विभाग** 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित को मंजूरी दी है: i. ₹2,136.51 करोड़ की कुल लागत (भूमि लागत सहित) के साथ वाईजैग चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) के तहत आंध्र प्रदेश में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ii. ₹2,786.10 करोड़ की कुल लागत (भूमि लागत सहित) के साथ हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी) के तहत आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र है। iii. एनआईसीडीआईटी के परियोजना कार्यान्वयन कोष में ₹17,500 करोड़ से ₹24,100 करोड़ तक की वृद्धि और मार्च, 2027 से 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त कोष सहित समग्र कोष की उपयोग अवधि का विस्तार करना। 2. अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए धन डीपीआईआईटी द्वारा प्रस्तुत राजकोषीय संसाधनों की मांगों के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
24.	36	इस अधिनियम में यथा उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे।	**व्यय विभाग** 1. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 46(2) और (3) और धारा 94(2) के अधीन, आंध्र प्रदेश के सात पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक विशेष विकास पैकेज अधिसूचित किया गया था। 2. व्यय विभाग (डीओई) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को ₹1,750 करोड़ की राशि जारी की गई थी। नीति आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा ₹350 करोड़ की शेष राशि जारी करने पर विचार किया जाएगा, जो पिछली दो किश्तों में राज्य को जारी किए गए ₹700 करोड़ की तुलना में आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र की जांच पर आधारित है।
25.	37	**पीएम आवास योजना** प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की	**ग्रामीण विकास विभाग** 1. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 09.08.2024 को मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2024 के बाद और मार्च 2029 तक ₹3.06

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं।	लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के विस्तार को मंजूरी दी है। 2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 40 लाख के लक्षित आवासों में से मंत्रालय ने पात्र 18 राज्यों को 37.80 लाख का लक्ष्य आवंटित किया है। जिसमें से राज्यों द्वारा 27.78 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है और दिनांक 18.12.2024 तक 22.21 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** 1. *प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू):* एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.08.2024 को पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष है। 2. इस योजना में ₹10 लाख करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता (₹1.60 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित) शामिल है।
26.	38	**महिला-संचालित विकास** महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु ₹3 लाख करोड़ से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी)** 1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला केंद्रित योजनाओं के लिए जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) में अपने आवंटन को बढ़ाने के लिए 20 मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि जेंडर बजट विवरण के तहत बजट में आवंटित केंद्रीय संसाधनों की बेहतर समग्र तस्वीर दिखाई दे।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		भूमिका को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।	2. वित्त वर्ष 2023-24 में, एमडब्ल्यूसीडी ने जेंडर परिप्रेक्ष्य से अपनी संबंधित योजनाओं के विश्लेषण के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की। 3. कुल केंद्रीय बजट में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए जेंडर बजट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में 5.3% से 2024-25 में 6.8% बढ़ गई है।
27.	39	**प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान** जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।	**जनजातीय कार्य मंत्रालय** 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। 2. इस अभियान को बाद में 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में शुरू किया गया था। 3. इस अभियान के तहत ₹2493 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
28.	40	**पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं** बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।	**डाक विभाग** **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय** डाक विभाग ने चिह्नित स्थानों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 108 भारतीय डाक भुगतान बैंक एक्सेस प्वाइंट शुरू किए हैं, जो निम्नानुसार हैं: अरुणाचल प्रदेश - 50 मणिपुर - 18 मेघालय - 25 नागालैंड - 15

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
29.	43	**विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना** संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष-राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** इस योजना के लिए नामित एजेंसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), योजना तैयार कर रही है। ईएफसी की बैठक दिनांक 13.12.2024 को आयोजित की गई थी।
30.	44	**एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन हेतु बाहरी आकलन के भरोसे रहने की बजाए अपनी इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने	**वित्तीय सेवाएं विभाग** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ अंतिम बैठक दिनांक 28.11.2024 को आयोजित की गई थी। 2. पीएसबी मॉडल लागू किए जाने की प्रक्रिया में हैं। आज की तारीख के अनुसार ग्यारह बैंकों के पास ईटीबी ग्राहकों के लिए मॉडल लागू है और सात बैंकों के पास ईटीबी तथा एनटीबी दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए मॉडल लागू है। एक शेष

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अथवा विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। इससे केवल आस्ति अथवा कारोबार मानदण्डों पर आधारित ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार आने की आशा है। इसमें बिना किसी औपचारिक लेखांकन प्रणाली वाले एमएसएमई भी कवर होंगे।	पीएसबी ने सूचित किया है कि वे जल्द ही ईटीबी ग्राहकों के लिए मॉडल लागू कर देंगे।
31.	45	**संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता** मुझे एमएसएमई को उनके संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते 'स्पेशल मेंशन अकाउन्ट' (एसएमए) स्तर में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में सहायता की जाएगी।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** विशेष उल्लिखित खातों (सीजीएस-एमएसएमए) में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना हेतु ईएफसी बैठक दिनांक 13.12.2024 को आयोजित की गई थी।
32.	46	**मुद्रा ऋण** मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और	**वित्तीय सेवाएं विभाग** दिनांक 24.10.2024 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान सीमा को वर्तमान ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है। तरुण प्लस नामक एक नई श्रेणी सृजित की गई है जिसके अंतर्गत उन उद्यमियों को ऋण उपलब्ध

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।	होंगे जिन्होंने मुद्रा ऋण की तरुण श्रेणी के तहत लाभ उठाया है और पिछले ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है। तदनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 25.10.2024 को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को भी सूचित कर दिया गया है।
33.	47	**ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना** एमएसएमई को उनकी व्यापार प्राप्तियों को नगद के रूप में बदलकर उनकी कार्य पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा देने के लिए, मैं खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को ₹ 500 करोड़ से घटाकर ₹250 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह उपाय 22 और सीपीएसई तथा 7000 और कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। मध्यम उद्यमों को भी आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाएगा।	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)** **वित्तीय सेवाएं विभाग** एमएसएमई ने दिनांक 7 नवंबर, 2024 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अधिदेशित है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत पंजीकृत ₹250 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों और सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वयं को ऑनबोर्ड करना अपेक्षित होगा। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया 31 मार्च, 2025 तक पूरी हो जाएगी। **लोक उद्यम विभाग (डीपीई)** डीपीई ने 22 सीपीएसई को टीआरईडीएस पर ऑनबोर्ड करने का अनुरोध किया है। 21 सीपीएसई पहले से ही टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हैं।
34.	48	**एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं** सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने	**वित्तीय सेवाएं विभाग** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** 1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने मौजूदा 101 शाखाओं सहित वित्त वर्ष 2024-25 में खोली जाने वाली 24 शाखाओं की एक सूची

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के लिए नई शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण देगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोले जाने के साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा।	प्रस्तुत की है। इनमें 168 एमएसएमई क्लस्टर शामिल होंगे। शेष समूहों को अगले 2 वर्षों में सम्मिलित कर लिया जाएगा (अर्थात वित्त वर्ष 2027 तक)। 2. सिडबी द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक इक्कीस शाखाएं खोली गई हैं। 3. प्रत्यक्ष उधार के संबंध में, सिडबी ने तीन वर्ष की अवधि में प्रत्यक्ष उधार के अपने वर्तमान हिस्से को उत्तरोतर संवर्धित करने के लिए एक कार्यनीति बनाई है।
35.	49	**फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां** एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** 1. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो दिनांक 21 नवंबर, 2024 थी के साथ दिनांक 7 अगस्त, 2024 को 50 बहु-उत्पाद इरेडिएशन सुविधा स्थापित करने के लिए हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। 2. 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करने पर विचार करने हेतु ईएफसी नोट प्रक्रियाधीन है।
36.	50	**ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र** एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के	**वाणिज्य विभाग** 1. वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) के कार्यान्वयन के लिए नीति और प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु राजस्व विभाग (सीबीआईसी), नागर विमानन मंत्रालय (बीसीएएस), डाक विभाग और विभिन्न उद्योग हितधारकों के परामर्श ले रहा है। 2. ईसीईएच की स्थापना के लिए प्रस्तावों की मांग करने हेतु ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच)

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अंतर्गत, ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे।	पायलट शुरू करने के लिए कार्यनीति का मसौदा दिनांक 22.08.2024 को परिपत्रित किया गया था। 3. इसके उत्तर में छह विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सीबीआईसी और बीसीएएस के परामर्श से ईसीईएच कार्यान्वयन के लिए पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
37.	51	**शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप** प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में, हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी। उन्हें रियल-लाइफ व्यवसाय वातावरण, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना में ₹5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और ₹6,000 की एकबारगी सहायता दी जाएगी। कंपनियों से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अपनी सीएसआर निधियों से वहन करने की अपेक्षा की जाएगी।	**कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय** 1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम इंटर्नशिप योजना की एक प्रायोगिक परियोजना लागू कर रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए ₹840 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। 2. यह योजना www.pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है, जहां पीएम इंटर्नशिप योजना प्रायोगिक परियोजना के दिशानिर्देश दिनांक 03.10.2024 को अपलोड किए गए थे। 3. अब तक, कंपनियों द्वारा 1.27 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। इनके लिए लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंपनियों द्वारा चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और इंटर्नों को शामिल किया जा रहा है।
38.	52	**औद्योगिक पार्क** हमारी सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आस-पास संपूर्ण	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** डीपीआईआईटी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समन्वय से एक संकल्पना नोट तैयार किया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी।	सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके सुझावों की मांग करते हुए साझा किया है।
39.	53	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** 1. आर्थिक कार्य पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28-08-2024 को परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2. राज्य सरकारों से संबंधित एसपीवी को भूमि अंतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
40.	54	**किराए का आवास** औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) आर्थिक कार्य विभाग** प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंत्रिमंडल द्वारा 09.8.2024 को अनुमोदित किया गया है। तब से एमओएचयूए द्वारा पीएमएवाई 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। किफायती किराया आवास (एआरएच) पीएमएवाई 2.0 योजना के कार्यक्षेत्रों में से एक है। इस एआरएच घटक के अंतर्गत, सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं को किराये के आवास स्टॉक सृजित करने के लिए निवेश का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एआरएच वर्टिकल के अंतर्गत, डीपीआईआईटी के परामर्श से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में औद्योगिक पार्कों और क्लस्टरों के आसपास परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
41.	55	**पोत-परिवहन उद्योग** भारतीय पोत-परिवहन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा।	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** 1. भारत में समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) की स्थापना और जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) 2.0 के लिए स्वामित्व और लीजिंग सुधारों के संबंध में घोषणा को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 2. प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित व्यापारी शिपिंग विधेयक, 2024 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
42.	56	**महत्वपूर्ण खनिज मिशन** हम महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क, तथा उपयुक्त वित्तीय तंत्र शामिल होंगे।	**खान मंत्रालय** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए ईएफसी नोट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
43.	57	**खनिजों का अपतटीय खनन** हमारी सरकार पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगी।	**खान मंत्रालय** 1. ईईजेड में नीलामी के माध्यम से समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए तेरह अपतटीय ब्लॉकों की पहचान की गई है। निम्नलिखित पांच नियमों को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है: (i) 6 जून 2024 को अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2024 (ii) 9 अगस्त 2024 को अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम, 2024 (iii) 14 अगस्त 2024 को अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(iv) 16 अक्टूबर 2024 को अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नियम, 2024 (v) 31.12.2024 को अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 2. 29 अक्टूबर, 2024 को निर्माण रेत और चूना मिट्टी पॉली धातु नोड्यूल और क्रस्ट के लिए रॉयल्टी दर विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। 3. 13 अपतटीय खनिज ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी 28 नवंबर, 2024 को शुरू की गई है।
44.	58	**डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग** सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, मैं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभों, व्यवसाय अवसरों तथा नवाचार के लिए आबादी के पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इनकी योजना ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा सुपुर्दगी और शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में बनाई गई है।	**नीति आयोग** यह विकसित भारत @ 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। नीति आयोग जल्द ही एक फ्रंटियर टैक हब लॉन्च करेगा जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पर कार्य में समन्वय करेगा और गतिशीलता लाएगा। **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के माध्यम से एमईआईटीवाई चिन्हित क्षेत्रों में डीपीआई अनुप्रयोगों के सृजन/रोलआउट के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अनुसचिवीय स्तर के परामर्श कर रहा है। **वित्तीय सेवाएं विभाग** 1. यूपीआई पर कार्ड लिंक सेवाएं: यूपीआई क्रेडिट लिंक्ड सेवाओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है, जो उन्हें यूपीआई लेनदेन के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाता है जो पहले डेबिट कार्ड और बैंक खातों

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			तक सीमित था। रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की इस सुविधा का उपयोग शिक्षा, ई-कॉमर्स आदि जैसे किसी भी व्यापारी भुगतानों के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2024 को यूपीआई पर क्रेडिट लाइनें शुरू की गई हैं, जिससे उपयोगकर्ता यूपीआई इंटरफेस के माध्यम से सीधे अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 2. एकीकृत उधार इंटरफेस (यूएलआई): रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित यूएलआई को बाधा रहित ऋण के लिए लोक तकनीकी मंच के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में, 20 ऋणदाता (एनबीएफसी सहित) और 50 से अधिक डेटा सेवाएं प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हैं। यह 12 प्रकार की ऋण सुविधाओं पर चलाया जा रहा है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), डिजिटल कैटल, एमएसएमई (असुरक्षित), आवासन, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, सूक्ष्म व्यवसाय, वाहन, डिजिटल गोल्ड, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी अनुरक्षण शामिल हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹7,954 करोड़ की राशि के 1.61 लाख से अधिक ऋण संवितरित किए गए हैं। **वाणिज्य विभाग** 1. डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) ने एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाई है जिसका निर्यात के लिए लाभ उठाया जा सकेगा। 2. ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए भारतीय निर्यातकों और उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापार कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रमुख विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			3. डीजीएफटी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में थर्ड-पार्टी प्रणालियों और ऐप्स के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी), स्थिति धारक की स्थिति, आयात नीति और ई-बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र से संबंधित विभिन्न एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) भी आयोजित किए हैं। **स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)** दीक्षा (जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दीक्षा एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है। 17.96 करोड़ नामांकन के साथ दीक्षा पोर्टल पर 19,680 पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं। पाठ्यक्रम सामग्री 7,085 उत्साहवर्धक पाठ्यपुस्तकों और 3.63 लाख ई-सामग्री के माध्यम से अपलोड की जाती है। दीक्षा 2.38 लाख दैनिक रूप से सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 1.74 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। डीओएसईएल अपने उन्नयन का कार्य कर रहा है। **उच्चतर शिक्षा विभाग** *i.* एकेडमिक *बैंक ऑफ क्रेडिट:* एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) एक शैक्षणिक सेवा तंत्र है जो एक डिजिटल, आभासी, ऑनलाइन इकाई है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जाता है ताकि छात्रों को अपने शैक्षणिक खाताधारक बनने की सुविधा मिल सके और संवितरित तथा समुत्थानशील शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मोचन की एक औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के बीच या उसके भीतर निर्बाध छात्र तीव्रता (स्टूडेंट मोबिलिटी) का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। मार्च 2025 तक प्रस्तावित योजनावार/पहलवार लक्ष्य निम्नानुसार हैं: i. सृजित एपीएएएआर आईडी की संख्या: 5 करोड़; ii. मैप किए गए क्रेडिट डेटा वाले छात्रों की संख्या: 1 करोड़; iii. जमा/मैप किए गए क्रेडिट रिकॉर्ड की संख्या: 2 करोड़; iv. पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या: 2,500 v. अन्य हितधारकों के साथ एकीकरण: क). एपीएएआर रुपे कार्ड का शुभारंभ ख). अन्य हस्तक्षेपों के साथ एकीकरण *//. समर्थ:* समर्थ दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पहल है। उच्च शिक्षा संस्थाओं (*एचईआई*) में समर्थ को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य स्वशासन और नियमित प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली प्रदान करना है। *iii. स्वयं* प्लस*:* स्वयं प्लस भारत सरकार की एक पहल है, जिसे राष्ट्र के डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग** 1. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			नागरिक केंद्रित एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। 2. 4 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, प्रमुख संकेतकों की प्रगति निम्नानुसार है: • आभा (पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जानी जाती थी) बनाई गई- 67,25,37,267; • स्वास्थ्य सुविधा पर स्वास्थ्य सुविधाएं रजिस्ट्री - 3,39,897; • स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक रजिस्ट्री पर स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक - 4,81,918 • आभा से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड - 43,07,79,566 **विधि और न्याय मंत्रालय** 1. विधायी विभाग ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में सभी विधानों के लिए एक डिजिटल भंडार भारत कोड विकसित करने पर कार्य शुरू किया है। 2. विधायी विभाग को एनआईसी से एक समझौता प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह सीडैक तथा डिजिटल इंडिया से इसी प्रकार के प्रस्तावों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** ई-कॉमर्स से संबंधित डीपीआई: ओएनडीसी पर जुलाई 2023 में 27 लाख आर्डर नवंबर 2024 में बढ़कर 1.43 करोड़ आर्डर हो गए। मार्च 2025 में 2 करोड़ आर्डर होने की संभावना है। ओएनडीसी पर नवंबर 2024 तक कुल 14.18 करोड़ आर्डर (संचयी) निष्पादित किए गए थे।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1. शहरी शासन में सुधार के लिए, शहर की समस्याओं के डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम 1.0) की अवधारणा की गई थी। एनयूडीएम 1.0 ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में ऑनलाइन गवर्नेंस (यूपीवाईओजी) के संवितरण के लिए एक शहरी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। 2. वर्तमान में, यह आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 13 नगरपालिका सेवाओं अर्थात संपत्ति कर, भवन योजना अनुमोदन, जल/सीवरेज, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संदर्भ मॉड्यूल का एक प्रारंभिक सेट प्रदान करता है। 3. एनयूडीएम 2.0 के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
45.	59	**आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने तथा निरंतरता, पारदर्शिता, समयोचित प्रसंस्करण तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** दिनांक 30.10.2024 को प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) द्वारा आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र (आईपीआईई) परियोजना के लिए एकीकृत मंच का मूल्यांकन किया गया है। आईपीआईई परियोजना को ₹119.50 करोड़ और करों की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) का गठन प्रस्तावित है। इस कार्य की निविदा देने और अप्रैल 2025 तक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है और इसमें पहले चरण के लिए 12 महीने और दूसरे चरण को कार्यान्वित करने हेतु 6 महीने का और समय लगेगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
46.	60	**एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर** एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** 05 अगस्त, 2024 को अधिसूचना जारी की गई है कि स्वैच्छिक समापन के लिए एलएलपी द्वारा दाखिल आवेदनों पर 27 अगस्त, 2024 से सी-पीएसीई द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
47.	62	दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उपयुक्त बदलाव, अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में सुधार किए जाएंगे और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। उनमें से कुछ अधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** 1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित परिवर्तनों के संबंध में, मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु मंत्रिमंडल नोट्स पर कार्रवाई की जा रही है।
48.	63	**ऋण वसूली** ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** 1. प्रक्रियात्मक सुधार किए गए। हितधारकों के परामर्श के बाद संशोधित ऋण वसूली अधिकरण विनियम (डीआरटी विनियम, 2024) तैयार किए गए हैं और अपनाने के लिए सभी डीआरटी को भेजे गए हैं। डीआरटी में प्रक्रिया को अब डीआरटी विनियम, 2024 के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। 2. अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
49.	64	**विकास केंद्रों के रूप में शहर** राज्यों के साथ मिलकर, हमारी सरकार "विकास केंद्रों के रूप में शहरों" को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** 1. शहरी आर्थिक उत्पाद के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना: सभी हितधारक मंत्रालयों/एजेंसियों के प्रतिनिधित्व के साथ शहर के आर्थिक उत्पाद के लिए फ्रेमवर्क/ कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए नीति आयोग के तत्वावधान में एक समिति का प्रस्ताव किया गया है। 2. बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक विशेषज्ञों के सहायता से पारगमन और आर्थिक योजना के लिए नॉलेज फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है। 4-5 शहरी क्षेत्रों जैसे कि सूरत, विशाखापट्टनम, वाराणसी आदि के आसपास के क्षेत्र का चयन किया जाएगा।
50.	65	**शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास** परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, हमारी सरकार समर्थकारी नीतियों, बाजार आधारित तंत्र तथा विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 राज्यों के लिए निम्नलिखित हेतु क्षमता निर्माण/तकनीकी सहायता: (i) पुनर्विकास के लिए पुराने शहर के क्षेत्रों की पहचान। (ii) चिह्नित क्षेत्रों में पुनर्विकास परियोजनाएं चलाना। (iii) ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) कॉरिडोर के साथ एकीकरण। (iv) बाजार आधारित तंत्र के लिए विकसित किया जाने वाला नॉलेज फ्रेमवर्क। (v) नीतियों और विनियम को सक्षम करना। (vi) हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आम सहमति बनाना और प्रणालियां स्थापित करना।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
51.	66	**आवागमन उन्मुखी विकास** 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** *अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0* राज्यों के लिए निम्नलिखित हेतु तकनीकी सहायता/क्षमता निर्माण: (i) पारगमन उन्मुख विकास कॉरिडोर को अधिसूचित करना और क्षेत्रों को प्रभावित करना। (ii) टीओडी क्षेत्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र की योजनाएं। (iii) विभेदक भवन उपनियम। (iv) इन कॉरिडोर्स (निजी और सार्वजनिक) में परियोजनाएं लेना।
52.	67	**शहरी आवास** प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, ₹10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में ₹2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को दिनांक 17.09.2024 को शुरू किया गया, ताकि एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर प्रदान किए जा सके। मिशन अवधि 5 वर्ष है। 2. इस योजना में ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता सहित (₹1.60 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित) ₹10 लाख करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है। 3. इस योजना में पुनर्निर्मित कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन पद्धति शामिल है। किफायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			व्यय विभाग इस योजना को दिनांक 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) / पीएलआई के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर का निर्माण, खरीद या किराए पर देने के लिए अनुमोदित किया गया है। क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) का कोष ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है। **वित्तीय सेवाएं विभाग** पीएमएवाई 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा लागू किया जा रहा है। ब्याज सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन को बैंकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
53.	68	इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. किरायेदारी कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 02.6.2021 को मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) को मंजूरी दी गई थी। 2. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने एमटीए की तर्ज पर अपने नए किरायेदारी कानून बनाए हैं। 3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) एमटीए को शीघ्र अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
54.	69	**जल आपूर्ति और स्वच्छता** राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। इन परियोजनाओं में उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 - जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट: (i) 100 शहरों के रिंग बाड़ वाले क्षेत्र की पहचान बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से उच्चतम सेवा स्तर के बेंचमार्क के साथ परिपूर्णता के लिए की जाएगी (ii) बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से नॉलेज फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा (iii) बैंक योग्य परियोजनाओं को राज्यों के साथ तैयार किया जाएगा और वित्तपोषण के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को प्रस्तुत किया जाएगा। 2. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0: (i) संभावित 100 शहरों की जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की पहचान। (ii) प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार किया जा रहा है। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** जल आपूर्ति, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 100 शहरों के लिए नॉलेज फ्रेमवर्क नामक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से तकनीकी सहायता प्रस्ताव विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को कुल मिलाकर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹16.5 करोड़) प्रस्तुत किए गए हैं।
55.	70	**स्ट्रीट मार्केट** स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन परिवर्तन में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, हमारी सरकार ने	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित नियमों और योजनाओं के माध्यम से 2014 का पथ विक्रेता अधिनियम लागू किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।	2. वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि के शुभारंभ के बाद से, इन सरकारों ने इस अधिनियम के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। 3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अधिनियम के कार्यान्वयन का लगातार निरीक्षण और निगरानी करता है। 4. एक संकल्प पत्र तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
56.	71	**स्टाम्प शुल्क** हम, सभी के लिए दरों को कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्कों को और कम करने पर भी विचार करने हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अधिक स्टाम्प शुल्क लगाना जारी रखा है। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** 1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अचल संपत्तियों की बिक्री/खरीद के संव्यवहार पर स्टांप शुल्क दरों में कमी और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टांप शुल्क में अतिरिक्त कमी पर विचार करें। 2. पीएमएवाई 2.0 के तहत, 60 वर्गमीटर से कम के घरों के लिए स्टांप शुल्क को 1% तक कम करना अनिवार्य शर्तों में से एक है।
57.	72	**ऊर्जा परिवर्तन** अंतरिम बजट में, मैंने उपलब्धता, पहुंच तथा किफायत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारी रणनीति की घोषणा की थी। हम समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेंगे जो रोजगार, विकास और पर्यावरण	**आर्थिक कार्य विभाग** **नीति आयोग** 1. नीति आयोग देश के लिए ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए एक एकीकृत रोडमैप विकसित करने पर काम कर रहा है। 2. यह रोडमैप समग्र और एकीकृत प्रकृति का होगा जो आर्थिक विकास, उत्सर्जन, रोजगार के अवसरों, भूमि, जल, निवेश आवश्यकताओं और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में ऐसे मार्गों के विभिन्न डीकार्बोनाइजेशन मार्गों और ट्रेड-ऑफ की जांच करेगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करेगा।	3. नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह भी बनाए हैं, अर्थात: • ऊर्जा परिवर्तनकाल के वृहद आर्थिक निहितार्थ; • परिवहन, उद्योग, भवन, कृषि और बिजली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण; • जलवायु वित्त (शमन और अनुकूलन दोनों); • महत्वपूर्ण खनिज, अनुसंधान एवं विकास, घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएं; • ऊर्जा परिवर्तनकाल के सामाजिक पहलू; • नीति संश्लेषण। 4. कार्य समूह सिफारिशों का अंतिम सेट तैयार करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं।
58.	73	**पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे।	**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** 1. सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सौर छत क्षमता का विस्तार करना और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। 2. इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ रूफटॉप सौर स्थापित करना है। 3. राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 1.54 करोड़ पंजीकरण और 31.98 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 4. इसके अलावा, योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से 7.38 लाख आवासीय परिवारों को लाभ हुआ है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
59.	74	**पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी** विद्युत भंडारण तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी परिवर्तनशील और विरामी प्रकृति के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति लाई जाएगी।	**विद्युत मंत्रालय** 1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआर), कोयला मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), निजी डेवलपर्स और भारत के वाणिज्य और उद्योग के संबद्ध चैम्बर्स (एएसएसओसीएचएएम) के परामर्श से एक मसौदा पम्प्ड भंडारण नीति (पीएसपी) तैयार की गई है। 2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए मसौदा नीति प्रक्रियाधीन है।
60.	75	**छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास** परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के लिए ऊर्जा मिश्रण का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना है। इस संबंध में, हमारी सरकार (1) भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, (2) भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा (3) परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान और विकास वित्तपोषण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाएगा।	**नीति आयोग** **परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. नीति आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के डिजाइन और विकास के संबंध में कई बार परामर्श किए। 2. यह भी पहचाना गया कि छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास में निजी भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन अपेक्षित है। नीति आयोग के समर्थन में आर्थिक कार्य विभाग (डीएई) अपेक्षित संशोधनों को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। 3. परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) की स्थापना के लिए व्यवसाय मॉडल को मंजूरी दी है। पीपीपी मॉडल के प्रारंभिक ढांचे पर काम किया गया है और इच्छुक निजी पक्षकारों के साथ चर्चा की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
61.	76	**उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट** अत्यंत बेहतर कार्य क्षमता वाले उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य पूरा हो गया है। एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। सरकार अपेक्षित राजकोषीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आगे चलकर, इन संयंत्रों के लिए उच्च श्रेणी वाले इस्पात तथा अन्य उन्नत धातु सामग्री के उत्पादन हेतु स्वदेशी क्षमता के विकास से अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।	**विद्युत मंत्रालय** **भारी उद्योग मंत्रालय** **नीति आयोग** 1. स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक के परिनियोजन के संबंध में नीति आयोग द्वारा एक हितधारक बैठक बुलाई गई थी। 2. कोरबा, छत्तीसगढ़ में 1x800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित बिजली संयंत्र के लिए साइट को अंतिम रूप दिया गया है। 3. यह परियोजना एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीपीएल), नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के संयुक्त उद्यम द्वारा लागू की जाएगी। 4. बीएचईएल के साथ तकनीकी विनिर्देश और आपूर्ति श्रृंखला को अंतिम रूप दिया गया है। 5. विद्युत मंत्रालय द्वारा पीआईबी ज्ञापन के मसौदे की जांच की जा रही है।
62.	77	**'हार्ड टू एबेट' उद्योगों के लिए रोडमैप** 'हार्ड टू एबेट' उद्योगों को 'ऊर्जा दक्षता' के लक्ष्य से 'उत्सर्जन लक्ष्य' की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के 'परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड' पद्धति से 'इंडियन कार्बन मार्केट' पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे।	**विद्युत मंत्रालय** 1. ऐसे 9 हार्ड टू एबेट क्षेत्रों (इस्पात, सीमेंट, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमीनियम, क्लोर-अल्कली, रिफाइनरी, वस्त्र और उर्वरक) के लिए उत्सर्जन लक्ष्य स्थापित किया जा रहा है जो कार्य-निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार में हैं और 'भारतीय कार्बन बाजार' में परिवर्तित हो जाएंगे। 2. भारतीय कार्बन बाजार के अनुपालन तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट का व्यापार वर्ष 2026-27 के दौरान होने की उम्मीद है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) 1. विद्युत मंत्रालय के तहत एमओईएफसीसी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने दिनांक 22.09.2024 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित हितधारकों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया 2. बीईई सीसीटीएस को लागू करने के लिए प्रशासक के रूप में काम कर रहा है।
63.	78	**पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता** तांबा और सेरामिक क्लस्टर की 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा-परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को अगले चरण में 100 अन्य क्लस्टरों में दोहराया जाएगा।	**विद्युत मंत्रालय** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** 1. विद्युत मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए एक रणनीतिक वित्तीय प्रोत्साहन (ब्याज छूट) योजना तैयार की है, जो स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपना रही है। 2. "₹1000 करोड़ के परिव्यय के साथ "उद्योग और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने में सहायता (एडीईटीआई)" योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।" 3. यह योजना वर्ष 2030-31 तक प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 (3 वर्ष) तक चालू रहेगी।
64.	79	**केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश** केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था	**व्यय विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई द्वारा कैपेक्स खर्च की मासिक आधार पर निगरानी की जाती है। वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, 30 नवंबर 2024 तक 5.06 लाख करोड़ रुपये का

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ₹11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।	पूंजीगत व्यय किया गया था। यह 25 दिसंबर, 2024 तक काफी बढ़कर ₹6.44 लाख करोड़ हो गया है।
65.	80	**राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश** हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आबंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी ₹ 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।	**व्यय विभाग** 1. व्यय विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता हेतु योजना से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। 2. वर्ष 2024-25 के लिए योजना हेतु ₹1.50 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है (नियमित बजट 2024-25 के अनुसार)। इसमें योजना के भाग-I (अबद्ध) के तहत ₹55,000 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे 15वें वित्त आयोग के अवार्ड के अनुसार केंद्रीय करों के उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित किया गया है। शेष राशि सुधार-केंद्रित और क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है। 3. दिनांक 24.12.2024 तक, राज्यों के लिए ₹95,963.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और वर्ष 2024-25 के लिए योजना के तहत राज्यों को ₹73,393.82 करोड़ की राशि जारी की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
66.	81	**अवसंरचना में निजी निवेश** वीजीएफ तथा समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** 1. बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क के लिए हितधारक के साथ परामर्श किए जा रहे हैं। 2. वीजीएफ के माध्यम से अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ नीतियों और विनियमों को सक्षम करने के लिए आवश्यक पहल की जा रही हैं।
67.	82	**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।	**ग्रामीण विकास विभाग** 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है ताकि निर्धारित जनसंख्या आकार की 25,000 असंबद्ध बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। 2. पीएमजीएसवाई-IV दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप और गति शक्ति पोर्टल के उपयोग के माध्यम से जमीनी स्तर पर बस्तियों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 3. दिनांक 06.01.2025 तक, पीएमजीएसवाई-IV के तहत 17,570 बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया है।
68.	83	**सिंचाई और बाढ़ उपशमन** बिहार ने अक्सर बाढ़ को झेला है, उनमें से बहुतों की उत्पत्ति देश से बाहर होती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति होनी बाकी	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डी/ओ डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर)** **व्यय विभाग** 1. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता सलाहकार समिति और निवेश मंजूरी समिति तथा अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा परियोजना की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		है। हमारी सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, ₹11,500 करोड़ की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, कोसी से संबंधित बाढ़ उपशमन और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण भी किया जाएगा।	द्वारा एफएमबीएपी के तहत परियोजनाओं को शामिल किए जाने के पश्चात् जारी की जाएगी। 2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) योजना के तहत बिहार की कोशी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को शामिल करने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक 21.11.2024 को हुई, जिसकी अनुमानित लागत ₹6,282.32 करोड़ (2022-23 मूल्य स्तर) है तथा केंद्रीय सहायता ₹3,685.93 करोड़ है। 3. जहां तक 20 अन्य चालू और नई योजनाओं का प्रश्न है, बाढ़ उपशमन उपायों पर विचार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जून, 2024 में एक समिति गठित की गई है। 4. समिति ने सुझाव दिया है कि बिहार में समतल भूभाग के कारण बड़े बांधों का निर्माण संभव नहीं है तथा बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई के लिए राज्य के भीतर नदियों को जोड़ने और कुछ बैराज बनाने का सुझाव दिया है। 5. एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के तहत बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल करने के लिए, राज्य सरकार को राज्य में फ्लड प्लेन जोनिंग को लागू करना आवश्यक है।
69.	84	असम में प्रतिवर्ष भारत के बाहर उद्गम होने वाली ब्रहमपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। हम असम को बाढ़ प्रबंधन	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी एंव जीआर विभाग) व्यय विभाग** 1. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेंगे।	के लिए केंद्रीय सहायता सलाहकार समिति और निवेश मंजूरी समिति और अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा परियोजना की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफएमबीएपी के तहत परियोजनाओं को शामिल किए जाने के पश्चात् जारी की जाएगी। 2. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने असम में ₹253.88 करोड़ की लागत वाली 04 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है और ₹513.14 करोड़ की लागत वाली 01 परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। 3. एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के तहत बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को राज्य में फ्लड प्लेन जोनिंग को लागू करने की आवश्यकता है।
70.	85	हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई है। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर विभाग)** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बहुपक्षीय विकास बैंक ऋण प्रस्तावित किया गया है। 2. परियोजना हेतु योजना की तैयारी में सहायता के लिए विश्व बैंक की टीम को राज्य का दौरा करने का कार्य सौंपा गया है। 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग बहुपक्षीय विकास सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन में सहायता करेगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
71.	86	उत्तराखंड में भी बादल फटने और व्यापक भूस्खलन के कारण हानि हुई है। हम राज्य को सहायता उपलब्ध कराएंगे।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर विभाग)** **व्यय विभाग** बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के सीमावर्ती क्षेत्र घटक से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों (आरएमबीए) के अंतर्गत नेपाल के साथ काली नदी सीमा पर ₹170.57 करोड़ की लागत वाली पंद्रह बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं शामिल की गई हैं।
72.	87	हाल ही में सिक्किम में विनाशकारी तीव्र बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे पूरे राज्य में व्यापक विनाश हुआ है। हमारी सरकार राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर विभाग)** **व्यय विभाग** 1. अक्टूबर, 2023 की बाढ़ के मद्देनजर तीस्ता नदी में रूपात्मक परिवर्तनों पर अध्ययन करने के लिए 27.06.2024 को डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर द्वारा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) कोलकाता के अधीन एक समिति गठित की गई है, ताकि चैनल संवहन और गाद अध्ययन में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकें। 2. तीस्ता नदी के लगभग 150 किलोमीटर में रूपात्मक सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा निविदा जारी की गई है। 3. समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् मंगन जिले के अंतर्गत लाचेन में ज़ेमा से लेकर पाकयोंग जिले के अंतर्गत रंगपो और नामची जिले के अंतर्गत मेली तक नदी प्रशिक्षण कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (लगभग ₹1,000 करोड़ की लागत) तैयार की जाएगी।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
73.	89	बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। उनको विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	**पर्यटन मंत्रालय** पर्यटन मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा जैसे स्थलों का विस्तृत आधारभूत मूल्यांकन करे और उस पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराए। **संस्कृति मंत्रालय** गया और बोधगया में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं: (i) बोधगया संग्रहालय वर्तमान में प्रदर्शनीय स्थिति में है और स्थापित संग्रहालय मानकों का पालन करता है। इसका अच्छी तरह से नियमित रखरखाव तथा वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है ताकि बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसकी निरंतर कार्यशीलता और सौंदर्यात्मक आकर्षण सुनिश्चित किया जा सके। (ii) एक समग्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है, जिसमें एआरवीआर आदि जैसे डिजिटल उपायों को शामिल करते हुए एक आधुनिक संग्रहालय भवन के निर्माण और मौजूदा संग्रहालय के समग्र विकास योजनाओं की रूपरेखा दी गई है। (iii) सुजातागढ़, बकरौर, गया में स्तूप का संरक्षण और नवीनीकरण।
74.	90	राजगीर का हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का मंदिर प्राचीन है। सप्तऋषि या सात गर्म	**पर्यटन मंत्रालय** पर्यटन मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह - गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा स्थलों का विस्तृत आधारभूत मूल्यांकन करे और उस पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराए।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जलधाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्मकुंड बनाते हैं जो पवित्र है। राजगीर के लिए एक समग्र विकास पहल शुरू की जाएगी।	**संस्कृति मंत्रालय** 1. राजगीर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं: (i) राजगीर में नई किले की दीवार, स्वर्ण भंडार, मनियार मठ और अन्य स्थलों पर सुविधाओं और रोशनी आदि का उन्नयन। (ii) मनियार मठ, जरासंध का बैठका, जरासंध का अखाड़ा, अजातशत्रु स्तूप, जैन तीर्थ, नई किले की दीवार, नव उत्खनित स्तूप, वनगंगा, साइक्लोपियन दीवार और अजातशत्रु स्तूप का संरक्षण। (iii) राजगीर में इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण 2. नालंदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए कार्य: नालंदा पुरातत्व स्थल संग्रहालय का आधुनिकीकरण और संवर्द्धन परियोजना के तहत समग्र उन्नयन किया जा रहा है।
75.	91	हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय का इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरूत्थान करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी।	**पर्यटन मंत्रालय** पर्यटन मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह साइट का विस्तृत आधारभूत मूल्यांकन करे और उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करे।
76.	92	ओडिशा का दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट इसे एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। हमारी सरकार उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी।	**पर्यटन मंत्रालय** 1. ओडिशा राज्य सरकार के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार से ओडिशा में पर्यटन विकास के लिए स्थलों की पहचान करने का अनुरोध किया गया। 2. वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों के विकास हेतु पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत ओडिशा राज्य के लिए ₹99.90 करोड़ की राशि से हीराकुंड का विकास और ₹99.99 करोड़ की राशि से सतकोसिया का विकास नामक दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
77.	93	हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरूआत करेंगे। इसके अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप ₹1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे।	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. अनुसंधान नेशनल रिर्सच फंड का संचालन शुरू कर दिया गया है। 2. **प्रस्तावित** अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना के लिए वित्त व्यय समिति संबंधी नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।
78.	94	**अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था** अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए ₹1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी।	**अंतरिक्ष विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के पर्यवेक्षण में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित ₹1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि के निर्माण को मंजूरी दे दी है 2. निधि प्रबंधकों के चयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव मांगा गया है। दिनांक 09.12.2024 की **अंतिम** तिथि तक 4 बोलियाँ प्राप्त हुईं हैं। बोलियाँ मूल्यांकन और अनुशंसा चरण में हैं।
79.	95	**आर्थिक नीति फ्रेमवर्क** हम आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोजगार के अवसरों	**आर्थिक कार्य विभाग** आर्थिक नीति फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जा रहा है। नीति फ्रेमवर्क से संबंधित दस्तावेजीकरण विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट और

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेंगे।	विभाग के भीतर आंतरिक कार्य के आधार पर पूरा किया जाएगा।
80.	96	हमारी सरकार (1) उत्पादन कारकों की उत्पादकता में सुधार, और (2) बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने हेतु सुधार शुरू करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। इन सुधारों में उत्पादन के सभी कारकों, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता तथा सकल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में सहायक के रूप में प्रौद्योगिकी शामिल होंगे।	**नीति आयोग** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. नीति आयोग हितधारकों और शिक्षाविदों के साथ विचार-विमर्श सत्र आयोजित कर रहा है, जो श्रम-प्रधान विनिर्माण, अवसंरचना के वित्तपोषण, कराधान, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। 2. नीति आयोग उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट पर भी काम कर रहा है।
81.	97	इनमें से कई सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा आम सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। प्रतिस्पर्धी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चिह्नित करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राज्यों के साथ काम करते हुए, निम्नलिखित सुधार शुरू करेंगे।	**व्यय विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. व्यय विभाग ने 2024-25 के लिए राज्यों के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 2. 2024-25 की योजना के लिए ₹1.50 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 3. 24.12.2024 तक राज्यों को ₹95,963.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 2024-25 की योजना के तहत राज्यों को ₹73,393.82 करोड़ की राशि जारी की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
82.	98	**राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों में (1) भूमि प्रशासन, आयोजना और प्रबंधन, तथा (2) शहरी आयोजना, उपयोग और निर्माण उप-विधि शामिल होंगे। उपयुक्त राजकोषीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर इन सुधारों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।	**भूमि संसाधन विभाग** **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. व्यय विभाग ने 2024-25 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के काम में तेजी लाने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में योजना में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2. प्रोत्साहन का दावा करने के लिए प्रारूप सहित विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 09.10.2024 को सभी राज्यों के भूमि संसाधन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए परिचालित किए गए हैं 3. 23 राज्यों से प्रोत्साहन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की पहली लॉट की जांच की गई है और आगे की उचित कार्रवाई के लिए व्यय विभाग को भेज दिया गया है।
83.	99	**ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य** ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे (1) सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार निर्धारित करना, (2) संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, (3) वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण, (4) भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और (5) कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। इन कार्यों से ऋण प्रवाह और अन्य	**भूमि संसाधन विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** 1. व्यय विभाग ने 2024-25 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए 09.08.2024 को योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के काम में तेजी लाने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में योजना में ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2. प्रोत्साहन का दावा करने के लिए प्रारूप सहित विस्तृत दिशानिर्देश 09.10.2024 को सभी राज्यों के भूमि संसाधन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए परिचालित किए गए हैं।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी।	3. 23 राज्यों से प्रोत्साहन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की पहली लॉट की जांच की गई है और आगे की उचित कार्रवाई के लिए व्यय विभाग को भेज दिया गया है।
84.	100	**शहरी भूमि संबंधी कार्य** शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली बनाई जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी।	**भूमि संसाधन विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** 1. शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल करने का मुद्दा 16.08.2024 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है। 2. शहरी भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए एक अलग कार्यक्रम - शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (एनएकेएसएचए) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत 100 से अधिक शहरों में पायलट परियोजना के रूप में तैयार किया गया है। 3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पायलट परियोजना के लिए पहचाने गए 150 शहरी स्थानीय निकाय में हवाई सर्वेक्षण के लिए निविदा जारी की है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए रोवर्स की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करें और राज्य परियोजना निगरानी इकाई का गठन करें ताकि परियोजना को तेजी से लागू किया जा सके। 4. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का डोमेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि से संबंधित है। इस मामले पर मसौदा विधेयक टिप्पणियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भेजा गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
85.	101	**श्रमिकों के लिए सेवाएं** हमारी सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, इनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। तेजी से बदल रहे श्रम बाजार, कौशल जरूरतों और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए खुली संरचना वाले डाटाबेस और रोजगार आकांक्षियों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले तंत्र को इन सेवाओं में शामिल किया जाएगा।	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** 1. ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन मॉड्यूल 21.10.2024 को शुरू किया गया है, जो असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच के लिए एकल मंच प्रदान करेगा। ई-श्रम पर बारह केंद्रीय योजनाओं का डेटा मैप किया गया है। 2. केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ मैपिंग या एकीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** 1. स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्थापित एक अत्याधुनिक मंच है। 2. एसआईडीएच को असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस - ई-श्रम के साथ एकीकृत किया गया है। ई-श्रम डेटाबेस में उम्मीदवारों की कौशल संबंधी जानकारी साझा करने के लिए एकीकरण पूरा हो गया है। 3. एसआईडीएच ई-श्रम से उम्मीदवारों का व्यावसायिक डेटा भी प्राप्त कर सकता है। सहमति-आधारित डेटा एक्सचेंज प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम चल रहा है, जो दोनों प्लेटफ़ॉर्म के नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को एसआईडीएच और ई-श्रम के बीच सहजता से आदान-प्रदान की अनुमति देगा। 4. एकीकरण में जल्द ही ई-श्रम पोर्टल के भीतर सीधे डिजिटल कौशल प्रमाणपत्र लिंक साझा करना शामिल होगा। 5. ई-श्रम डेटाबेस का उपयोग लक्षित आउटरीच के लिए किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की पहचान

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			की जाएगी जो एसआईडीएच पर कौशल अवसरों से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्लूएस) को श्रम सुविधा प्लेटफार्म के साथ निम्नलिखित कार्यों के लिए एकीकृत किया गया है: (i) अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत पंजीकरण (ii) संविदा श्रम अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकरण (iii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत पंजीकरण। निम्नलिखित के लिए कार्य जारी है: • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का पंजीकरण और एकल विवरणी। • मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) विवरणी मॉड्यूल का एकीकरण।
86.	102	**श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल** उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** पुनर्निर्माण कार्य के लिए एक विकास एजेंसी को संविदा सौंपी गयी है तथा समाधान पोर्टल में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है।
87.	103	**वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति** अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सरकार इस क्षेत्र को आकार,	**आर्थिक कार्य विभाग** **नीति आयोग** **वित्तीय सेवाएं विभाग** हितधारकों के साथ परामर्श चल रहा है। इस विषय पर अध्ययन का काम भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा गया है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		क्षमता और कौशल के संदर्भ में तैयार करने हेतु एक वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाएगी। यह अगले 5 वर्ष के लिए कार्यसूची निर्धारित करेगा और सरकार, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	
88.	104	**जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी** हम जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और हरित परिवर्तन में मदद मिलेगी।	**आर्थिक कार्य विभाग** **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** **नीति आयोग** 1. जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी संबंधी अवधारणा नोट संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संगत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया था। 2. प्राप्त इनपुट के आधार पर फ्रेमवर्क दस्तावेज़ का विस्तृत संस्करण तैयार किया जा रहा है। 3. विद्युत, मोबिलिटी, भवन, कृषि, खाद्य और जल सुरक्षा और हार्ड-टू एबेट क्षेत्रों संबंधी टैक्सोनॉमी कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय तकनीकी समितियाँ (टीसीएस) गठित की गई हैं।
89.	105	**परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना** हम विमानों और पोतों के पट्टों के वित्तपोषण और निजी इक्विटी की सामूहिक निधियों के लिए एक कुशल और लचीली पद्धति वाली 'परिवर्तनीय पूंजी कंपनी' की संरचना हेतु अपेक्षित विधायी	**आर्थिक कार्य विभाग** 1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) (संशोधन) विधेयक में एक अलग अध्याय के रूप में परिवर्तनीय पूंजी कंपनी को पेश करने के लिए आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अनुमोदन प्राप्त करेंगे।	पंजीकरण जैसे पहलुओं सहित उनके कानूनी फ्रेमवर्क को परिभाषित किया जा सके। 2. आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
90.	106	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि (1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो, (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले।	**आर्थिक कार्य विभाग** 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में संशोधन करते हुए दिनांक 16.08.2024 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। 2. आरबीआई द्वारा रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई विनियमों में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए जाने हैं। 3. भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 11 नवंबर 2024 को परिपत्र जारी किए हैं, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) होल्डिंग्स को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए प्रचालनात्मक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।
91.	107	**एनपीएस वात्सल्य** माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वात्सल्य योजना 18.9.2024 को शुरू की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
92.	108	**प्रौद्योगिकी का प्रयोग** हमने पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादकता में सुधार करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था में असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। डिजिटल अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों से सभी नागरिकों, विशेषकर आम जनता की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिली है। हम अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में तेजी लाएंगे।	**इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** **आर्थिक कार्य विभाग** निम्नलिखित पहल की जा रही हैं: (i) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास और कार्यान्वयन। (ii) देश भर में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
93.	109	**व्यवसाय करने की आसानी** 'व्यवसाय करने की आसानी' को बढ़ाने के लिए, हम जन विश्वास विधेयक 2.0 पर पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों को अपने व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	**उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** 1. जन विश्वास 2.0 के लिए 32 मंत्रालयों/विभागों ने 129 अधिनियमों में 942 प्रावधानों की जांच की है। 2. कुल 942 प्रावधानों में से 91 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है तथा 12 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 18 केंद्रीय अधिनियमों में जीवन की सुगमता को सुगम बनाने के लिए 21 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।
94.	110	**डाटा और सांख्यिकी** डाटा संचालन, संग्रहण, प्रसंस्करण में सुधार तथा डाटा और सांख्यिकी के प्रबंधन के लिए	**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)** 1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई विशेषज्ञ संस्थानों और व्यक्तियों से प्राप्त

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत स्थापित डाटाबेस सहित विभिन्न क्षेत्रीय डाटाबेस का प्रयोग प्रौद्योगिकी टूल्स के सक्रिय उपयोग से किया जाएगा।	इनपुट/सुझावों के आधार पर भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार का रोडमैप तैयार किया है। 2. इन सुधारों में डेटा संग्रह, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई शामिल है। 3. अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा पहुंच के अपने विज़न को पूरा करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। 4. पोर्टल पर लगभग 3.5 मिलियन रिकॉर्ड हैं। इस पोर्टल पर महत्वपूर्ण मैक्रो संकेतकों का टाइम सीरीज डेटा और मंत्रालय की प्रमुख डेटा ऐसेट्स की सूची है। इससे आधिकारिक सांख्यिकी के लिए डेटा प्रबंधन में आसानी होगी। 5. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना के डेटा इनोवेशन (डीआई-लैब) घटक में सहयोग के लिए लगभग 130 संस्थानों को समझौता ज्ञापन के समन्वय का आग्रह किया गया। 6. मंत्रालयों/विभागों में तैनात सांख्यिकी सलाहकारों की भूमिका और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप दिया गया है और उन्हें सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है। इससे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ सांख्यिकीय समन्वय मजबूत होगा और राष्ट्रीय

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सांख्यिकी प्रणाली में तथा सुधार करने में मदद मिलेगी जिसके लिए सुधार के उपाय शुरू किए गए हैं।
95.	111	**नई पेंशन योजना (एनपीएस)** एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखी जाएगी।	**व्यय विभाग** नई पेंशन योजना (एनपीएस) समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.08.2024 को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 01.04.2025 से लागू की जानी है।
96.	114	वर्ष 2021 में, मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन उपाय से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। सरकार इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 से, हमारा प्रयास प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखना है कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगातार कम होता रहे।	**आर्थिक कार्य विभाग** **व्यय विभाग** 1. इस बजट पैरा में यह अधिदेशित है कि प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखा जाए कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटता रहे। 2. यह पैरा राजकोषीय समेकन के लिए नए राजकोषीय फ्रेमवर्क का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. पैरा का वास्तविक क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होगा।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		बजट भाषण का भाग-ख	
97.	137	**आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा** अब मैं आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा कर रही हूँ। इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी जिससे करदाताओं को कर में निश्चितता प्राप्त होगी। इससे मुकदमेबाजी से जुड़ी मांग में कमी आएगी। इसे छह महीनों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।	**राजस्व विभाग** विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा से संबंधित कार्य किया जा रहा है।
98.	140	**पुनः निर्धारण का सरलीकरण** मैं रिओपनिंग और पुनः निर्धारण के प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। अब के बाद कोई निर्धारण, निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय `50 लाख या उससे अधिक हो। सर्च मामलों में भी, दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव है। इससे कर-अनिश्चितताओं और विवादों में कमी आएगी।	**राजस्व विभाग** आयकर अधिनियम, 1961 में अपेक्षित संशोधन किए गए हैं, जो 01 सितंबर, 2024 से लागू होंगे।

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
99.	141	**कैपीटल गेन का सरलीकरण और युक्तीकरण** कैपीटल गेन कराधान को भी अत्यधिक सरल बनाए जाने का प्रस्ताव है।	**राजस्व विभाग** वित्त अधिनियम (सं.2), 2024 के भाग के रूप में पहले से ही शामिल कर लिया गया है।
100.	146	**करदाता सेवाएं** जीएसटी के तहत सभी बड़ी करदाता सेवाओं और सीमा शुल्क तथा आयकर के अधीन ज्यादातर सेवाओं को डिजिटल रूप में ला दिया गया है। सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं जिनमें ऑर्डर गिविंग इफेक्ट व रैक्टिफिकेशन सम्मिलित हैं, को अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण किया जाएगा और उन्हें पेपर-लेस बनाया जाएगा।	**राजस्व विभाग** ई-फाइलिंग, ओटोमेटिड प्रोसेसिंग, फेसलेस मूल्यांकन और रिटर्न की प्री-फिलिंग जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों ने न केवल कर प्रशासन में क्रांति ला दी है, बल्कि करदाता अनुभव को भी बेहतर बनाया है। उपरोक्त के अलावा, हाल ही में निम्नलिखित सेवाओं को डिजिटल किया गया है: क. दिनांक 20.12.2024 को सुधार संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सेवाएँ। ख. दिनांक 05.12.2024 को सेफ हार्बर (फॉर्म 3सीईएफए) का विकल्प चुनने के लिए आवेदन। ग. भविष्य निधि (फॉर्म 42) को मान्यता प्रदान करने से इनकार करने या मान्यता वापस लेने के विरूद्ध अपील, अधिवर्षिता निधि (फॉर्म 43) को मंजूरी देने से इनकार करने या मंजूरी वापस लेने के विरूद्ध अपील और नवंबर, 2024 में ग्रेच्युटी फंड (फॉर्म 44) से मंजूरी प्रदान करने से इनकार करने या मंजूरी वापस लेने के विरूद्ध अपील को ऑनलाइन प्रस्तुत करना। घ. दिनांक 31.10.2024 को उन्नत मूल्य निर्धारण समझौतों (फॉर्म 3सीईडीए) को वापस लेने के लिए आवेदन ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की ऑनलाइन सेवाएँ विकास के अंतिम चरण में हैं। साथ ही, समग्र

क्र.सं.	पैरा सं	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			डिजिटल सेवा फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ई-फाइलिंग, ऑटोमेटिड प्रोसेसिंग, फेसलेस मूल्यांकन और रिटर्न की प्री-फिलिंग जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों में लगातार सुधार किया जा रहा है।
101.	151	अंतरराष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी कम करने और निश्चितता प्रदान करने के विचार से हम सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार करेंगे और उन्हें अधिक आकर्षक बनाएंगे। हम ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण प्रक्रिया को भी सरल और सुचारू बनाएंगे।	**राजस्व विभाग** यह मामला सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार करने और अंतरण मूल्य निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में सीबीडीटी की अंतरण मूल्य निर्धारण मामलों पर एक आंतरिक समिति द्वारा जांच के अधीन है।
102.	154	दूसरा, भारत में क्रूज पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। रोजगार का सृजन करने वाले इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ।	**राजस्व विभाग** आयकर अधिनियम, 1961 में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं और ये 01.04.2025 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, ये निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होंगे। इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं तथा तदनुसार उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।
103.	155	तीसरा, हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का भारतीय उद्योग, जो बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों को रोजगार देता है, विश्व में अग्रणी है। इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, हम देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करेंगे।	**राजस्व विभाग** इस संबंध में दिनांक 29.11.2024 की अधिसूचना सं.124/2024 के माध्यम से नियम अधिसूचित किए गए हैं।